संख्या- 23/2020/1185/30-3-2020

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक** 07 **अप्रैल, 2020**

विषयः वर्ष 2020-21 के स्वीकृत प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार, लेखाश्ीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200 के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 24.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 12.00 लाख, लेखाशीर्ष 3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तता प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 21059.71 मद संख्या-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा उपक्रमों सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकार का भुगात-42-अन्य व्यय में प्राविधानि धनराशि रू0 07.00 लाख, मद संख्या-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेन्ट कलेम ट्रिब्यूनल धनराशि रू0 2709-15 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 23787.87 लाख (दो अरब सैंतीस करोड़ सत्तासी लाख सत्सासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर कतिपय शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	00	00
04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	24.00	12.00
योगः	**24.00**	12.00
लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि

3055-सड़क परिवहन–001-निदेशन तथा प्रशासन– 03-अधिष्ठान व्यय		
01-वेतन	12300.00	12300.00
02-मजदूरी	10.00	10.00
03-महंगाई भत्ता	3075.00	3075.00
04-यात्रा व्यय	15.00	15.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15.00	15.00
06-अन्य भत्ते	2.00	2.00
07-मानदेय	0.50	0.50
08-कार्यालय व्यय	600.00	600.00
09-विद्युत देय	300.00	300.00
10-जलकर/जलप्रभार	50.00	50.00
11-लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई	300.00	300.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100.00	100.00
13-टेलीफोन पर व्यय	350.00	350.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	800.00	800.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00	50.00
17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	120.00	120.00
18-प्रकाशन	6.00	6.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	10.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00	2.00
23-गुप्त सेवा व्यय	00.20	00.20
29-अनुरक्षण	10.00	10.00
42-अन्य व्यय मतदेय भारित	0.01 0.01	0.01 0.01
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20.00	20.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1000.00	1000.00

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	400.00	400.00
49-चिकित्सा व्यय	200.00	200.00
51-वर्दी व्यय	3.00	3.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	50.00	50.00
55-मकान किराया भत्ता	660.00	660.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	110.00	110.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	500.00	500.00
योगः 3055- 03 मतदेय	21059.71	21059.71
भारित	0.01	0.01
3055-सड़कपरिवहन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान 42-अन्य व्यय	7.00	7.00
योगः 3055-190	7.00	7.00
3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय- 03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल		
01-वेतन	1080.00	1080.00
02-मजदूरी	40.00	40.00
03-महंगाई भत्ता	270.00	270.00
04-यात्रा व्यय	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	4.00
06-अन्य भत्ते	3.00	3.00
08-कार्यालय व्यय	32.00	32.00
09-विद्युत देय	30.00	30.00
11-लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई	18.00	18.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	108.00	108.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.15	1.15
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	315.00	315.00
17-किराया उपशुल्क और कर	40.00	40.00
29-अनुरक्षण	200.00	200.00

38-अन्तरिम सहायता	225.00	225.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00	25.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
49-चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
55-मकान किराया भत्ता	160.00	160.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	42.00	42.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	100.00
योग-	**2709.15**	**2709.15**
कुल योगः 3055 मतदेय भारित	23775.86 0.01	23775.86 0.01
योग: (2235+3055) मतदेय भारित	23799.86 0.01	23787.87

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1-2020/बी-1-170/दस-2019-231-2020 दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- क्रय सम्बन्धी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76 (एस0पी0)/86 दिनांक 08.01.1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनांक 17.10.1994, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15-(एस0पी0)-92टी0सी0 दिनांक 17.12.1998, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92 दिनांक 08.01.1994, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49 (एस0पी0)-2000 दिनांक 20.12.2020 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं जहा टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहाॅ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। धनराशि टकड़ों में व्यय किय जाने से बचा जाये।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1-2020/बी-1-170/दस-2019-231-2020 दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(5)में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत मानक मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत दी जानी वाली सहायता को लेखानुदान अवधि में वित्तीय स्वीकृत विगत वर्ष की यदि कोई अपयुक्त अवशेष है तो उसके समायोजन के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी।

5- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-3 में यह निर्देश है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा

अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाये, से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित की जाये।

6- व्यय विवरण प्रत्येक मास के 10 तारीख तक वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशष सचिव।

संख्या- 23/2020/1185/30-3-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।